

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

कदमा नं० २०३ / 2022

तारीख रजू :- 11.7.22

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मेशल आई0डी0 नम्बर 2022/ 4१6

उनयान

देवीसिंह पुत्र मुकन्दी जाति मीना निवासी फैलीकापुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण

बनाम

प्रतरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति मीना निवासी फैलीकापुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—06

दिनांक	फर्द अहकाम	
7-22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री शांतिस्वरूप शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.08.2022 को पेश हो।</p>	
12/8	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी सप्रेम प्रार्थना पधारते हैं। गतानुसार दिनांक.....को पेश हों। 298u ✓</p>	<p>(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
29/8	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली करते ही दिनांक दिनांक 30-9-22 को पेश हों।</p>	
30/9	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी उपस्थित झार्ज वकीलाना शर्मा है। वाकीलिकरण नोटिस मंशासिन करता-बाधा है। अह। सु० नं० 203/22 दावा वैनी। अहवेनाम अहसिंह नरसिंह मेशासिन किया जाता है। पत्रावली फैलल सुमार अकरनाकर अकराई।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>